प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –837/2019

अनवान : –

1. राजेन्द्र पुत्र सुलतान जाति कलाल निवासीगण चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र सुलतान जाति कलाल निवासीगण चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
3. महेन्द्रकुमार पुत्र सुलतान जाति कलाल निवासीगण चक देईदासपुरा तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. सुलतान पुत्र पेमाराम जाति कलाल साकिन चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
2. नथमल पुत्र सुलतान जाति कलाल साकिन चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
3. गुडडीदेवी उर्फ विद्या पुत्री सुलतान जाति कलाल निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
4. सुशिलादेवी पुत्री सुलतान जाति कलाल निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
5. सरोज पुत्री सुलतान जाति कलाल निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**
श्री अंजनी कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय **दिनांकः 19.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता स0 275/255 के खसरा न0 127 की 0.1640 हैक्ट व खसरा न0 141 की 8.1820 हैक्ट भूमि कुल 8.3460 हैक्ट भूमि तथा रोही मौजा आपूवाला तहसील नोहर के खाता स0 115/61 के खसरा न0 44/192 की 13.8100 हैक्ट एवं खसरा न0 45 की 0.6070 हैक्ट व खसरा न0 99 की 5.0210 हैक्ट कुल 19.4380 हैक्ट भूमि में से 2530/9719 हिस्साा तथा रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के खाता स0 121/121 के खसरा न0 231/193 की 1.4820 हैक्ट एवं खसरा न0 232/199 की 1.7710 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति है जो की संयुक्त हिन्दु खानदान की पैतृक व संयुक्त परिश्रम से अर्जित भूमि है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:38:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादीगण एवं प्रतिवादीण स0 2 ता 5 का जन्मजात हक हिस्सा है उक्त वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी स0 2 ता 5 का प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है।

प्रतिवादीया संख्या 3 व 5 जो की वादी कि वादीगण बहिने है एवं प्रतिवादी स0 1 की पुत्रिया है तथा प्रतिवादी स0 1 जो की वादीगण का पिता है वृद्ध हो चुका है। प्रतिवादीगण स0 1 व 3 ता 5 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण एवं प्रतिवादी 2 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी स0 2 वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 व 5 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी स0 4 की ओर से अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार शर्मा ने जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी स0 4 को कोई उज्र व एतराज नही है। वादीगण द्वारा पुरानी व नवीनतम जमाबंदी पेश कि गई।

प्रकारण में प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही। साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत नवीनतम रिकार्ड के अनुसार के अनुसार की रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता स0 306/275 के खसरा न0 127 की 0.1640 हैक्ट व खसरा न0 141 की 8.1820 हैक्ट भूमि कुल 8.3460 हैक्ट भूमि तथा रोही मौजा आपूवाला तहसील नोहर के खाता स0 115/61 के खसरा न0 44/192 की 13.8100 हैक्ट एवं खसरा न0 45 की 0.6070 हैक्ट व खसरा न0 99 की 5.0210 हैक्ट कुल 19.4380 हैक्ट भूमि में से 2530/9719 हिस्साा तथा रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के खाता स0 121/121 के खसरा न0 231/198 की 1.1820 हैक्ट व खसरा न0 232/199 की 1.7710 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:58:09 IST
Reason: SelfAttested

शपथ पत्र बाबत वारिसान एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 व 5 द्वारा जवाब दावा पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 व 5 को कोई एतराज नही है तथा प्रतिवादी स0 4 की तरफ से अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार शर्मा ने जवाब दावा पेश किया है कि वाद वादीगण मुताबिक इस्तदुआ डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी स0 4 को कोई एतराज नही है। अतः वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता स0 306/275 के खसरा न0 127 की 0.1640 हैक्ट व खसरा न0 141 की 8.1820 हैक्ट भूमि कुल 8.3460 हैक्ट भूमि तथा रोही मौजा आपूवाला तहसील नोहर के खाता स0 115/61 के खसरा न0 44/192 की 13.8100 हैक्ट एवं खसरा न0 45 की 0.6070 हैक्ट व खसरा न0 99 की 5.0210 हैक्ट कुल 19.4380 हैक्ट भूमि में से 2530/9719 हिस्साा तथा रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के खाता स0 121/121 के खसरा न0 231/193 की 1.4820 हैक्ट एवं खसरा न0 232/199 की 1.7710 हैक्ट कुल 3.2530 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 19/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–चक सरदारपुरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:58:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –839 / 2019
अनवान : –

1. राजेन्द्र पुत्र सुलतान जाति कलाल निवासीगण चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र सुलतान जाति कलाल निवासीगण चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
3. महेन्द्रकुमार पुत्र सुलतान जाति कलाल निवासीगण चक देईदासपुरा तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. सुलतान पुत्र पेमाराम जाति कलाल साकिन चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
2. नथमल पुत्र सुलतान जाति कलाल साकिन चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
3. गुडडीदेवी उर्फ विद्या पुत्री सुलतान जाति कलाल निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
4. शिलादेवी पुत्री सुलतान जाति कलाल निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
5. सरोज पुत्री सुलतान जाति कलाल निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 366 सन 2023 निर्णय दिनांक 19.06.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता स0 306 / 275 के खसरा न0 127 की 0.1640 हैक्ट व खसरा न0 141 की 8.1820 हैक्ट भूमि कुल 8.3460 हैक्ट भूमि तथा रोही मौजा आपूवाला तहसील नोहर के खाता स0 115 / 61 के खसरा न0 44 / 192 की 13.8100 हैक्ट एवं खसरा न0 45 की 0.6070 हैक्ट व खसरा न0 99 की 5.0210 हैक्ट कुल 19.4380 हैक्ट भूमि में से 2530 / 9719 हिस्साा तथा रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के खाता स0 121 / 121 के खसरा न0 231 / 193 की 1.4820 हैक्ट एवं खसरा न0 232 / 199 की 1.7710 हैक्ट कुल 3.2530 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजरा[illegible] पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कोई [illegible] तो रहन मुक्त होने के बाद तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:38:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–चक सरदारपुरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:58:09 IST
Reason: SelfAttested